विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(3) से अनुमोदित)

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।
2.	**योजना का प्रारम्भ और अवधि**	यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त रहेगी।
3.	**परिभाषा**	1. इस योजना के सम्बन्ध में नवीन सूक्ष्म, लधु, मध्यम एवं बृहत उद्यम की परिभाषायें वही होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हों।

2. सावधि ऋण से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय हेतु लिया गया हो।

3. कार्यशील पूंजी से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण/साख सुविधा से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित किया गया हो।

4. रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आशय, ऐसे वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से है, जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक.15 अक्टूबर, 2008 द्वारा परिभाषित किया गया हो।

4. पात्रता

1. नये विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम, चाहे वह किसी भी श्रेणी(सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत) की हों, को उनके द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी।

2. ऐसे उद्यम, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती हो, इस सहायता की पात्र नहीं होंगी।

3. भारत सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/ संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

4. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

5. ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।

6. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

5. उपादान सहायता की सीमा एवं मात्रा	1.	ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
	2.	ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–बी के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
	3.	उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थाई निवासी द्वारा श्रेणी–बी के जनपद में उद्यम स्थापना पर भी उपादान की मात्रा व सीमा 6 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
	4.	ब्याज उपादान की अवधि की गणना परियोजना हेतु स्वीकृत सावधि व कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृति की प्रथम किश्त संवितरण के दिनांक से अनुमन्य अवधि तक की जायेगी।
	5.	ब्याज उपादान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय पर उपादान प्राप्त नहीं होगा।
6. ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया	1.	पात्र उद्यमों द्वारा निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा। (i) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति। (ii) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एस. आई.ए./आई.ई.एम.(पार्ट–ए व बी) की प्रति। (iii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की प्रति। (iv) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र। (v) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा सावधि/कार्यशील पूंजी ऋण का स्वीकृति पत्र तथा प्रथम किश्त संवितरण प्रमाण पत्र। (vi) ऋण का स्वीकृति पत्र सिर्फ पहले त्रैमास के आवेदन पत्र के साथ तथा उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन होने पर सम्बन्धित त्रैमास में संशोधित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना

होगा।

(vii) निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(viii) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है।

(ix) ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्यमी ज्ञापन भाग–2/आई.ई.एम. पार्ट–बी जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावे का परीक्षण कर ब्याज उपादान प्रोत्साहन नियमावली के नियमों के अनुसार परीक्षणोपरान्त दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तथा प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

(xi) जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत धनराशि की मॉग हेतु निदेशक उद्योग को भेजी जायेगी। निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये जिला उद्योग केन्द्र को धनराशि का आवंटन करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक को उपादान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी, जो उसी ऋणी के खाते में सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। ब्याज उपादान की राशि नकद में नहीं दी जायेगी।

(xii) ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले दो त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. ब्याज उपादान की वसूली

1. ब्याज उपादान की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि इकाई/बैंक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो ब्याज उपादान की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी, जिसकी वसूली सम्बन्धित बैंक/इकाई या दोनों से भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

2. ब्याज उपादान की राशि केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

8. अन्य

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।